

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Misc. Appeal No. 715/2021

United India Insurance Co. Ltd., Regional Manager, United India
Insurance Co. Ltd., Pal Road, Jodhpur

----Appellant

Versus

1. Jota Ram @ Joita Ram S/o Achla, Aged About 36 Years,
Kumawat, Resident Of Charli, Tehsil Ahore, Dis. Jalore
2. Manohar Singh S/o Banshi Singh, Main Road Nana, Police
Station Nana, Tehsil Bali, Dis. Pali
3. Deepak Singh S/o Jethu Singh, Bangdi Police Station
Sanderao, Tehsil Sumerpur, Dis. Pali

----Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Anil Kumar
For Respondent(s)	: Mr. Bharat Shrimali, Ms. Versha Purohit for res no. 1

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

15/05/2023

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन पर प्रत्यर्थी संख्या 3 पर नोटिस की तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है।

सुना गया। अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 पर तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत श्रीमाली उपस्थित है अतः तामील पूर्ण है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर को सुना गया।

यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा अवार्ड की 70 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करवायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मय ब्याज एक माह की अवधि में अधीकरण के समक्ष जमा करवायी जाती है तो मोटरयान दुर्घटना दावा अधीकरण, सुमेरपुर द्वारा एमएसी केस संख्या 93/2017, जोताराम उर्फ जोईताराम बनाम मनोहरसिंह व अन्य में पारित अवार्ड दिनांक 22.03.2021 की शेष राशि

की वसूली इस अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगी। अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर अवार्ड के अनुसार क्लेमैंट को राशि अदा कर दी जाये।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात अधीनस्थ अधीकरण का अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

120-S N LOHRA/-